न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 18/2013

जी.सी.एम.एस. नं.: 2013/00029

1. अतामोहम्मद पुत्र बुला मोहम्मद जाति राठ (मुसलमान) निवासी किशनावाली हाल निवासी 15 एसडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राज.

—अपीलार्थी

बनाम

1. इमामसैन पुत्री बुला मोहम्मद पत्नी अकबर जाति मुसलमान निवासी 12 किशनावाली ढाणी
2. भागा पुत्री बुला मोहम्मद पत्नी नवाजा खाँ जाति मुसलमान निवासी अनूपगढ़ नजदीक पुलिस थाना तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.
3. जेबा पुत्री बुला मोहम्मद पत्नी नादर खाँ जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. शरमा पुत्री बुला मोहम्मद पत्नी हैदर खाँ जाति मुसलमान निवासी किशनावाली ढाणी
5. सरपंच ग्राम पंचायत, 10 सरकारी तहसील श्रीविजयनगर
6. सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व एवं भू.अ. श्रीविजयनगर

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :—

1. श्री साहिब बाघला, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री सुरेन्द्र भाटी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 से 4

—:: **निर्णय** ::—

दिनांक : 10.02.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :—

1. अपीलार्थी के द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत 10 सरकारी के आदेश दिनांक 18.11.1995 जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि चक चक 15 एसडी मु.नं. 127/405(40), 127/406(53), 128/406(54) की कुल 20.16 बीघा कमाण्ड/अ.क. रकबा का विरास्तन इंतकाल सं. 38 स्वीकार किया गया है से व्यथित होकर यह अपील पत्र मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के पेश की है।
2. अपील पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। ग्राम पंचायत से अपीलाधीन आदेश संबंधित अभिलेख तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 जरिए अधिवक्ता उपस्थित। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।
3. अधिवक्ता अपीलार्थी अपनी बहस में अपील पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण के पिता बुला मोहम्मद के नाम से दर्ज थी। बुला मोहम्मद की मृत्यु दिनांक 25.01.1987 को हुई। मृत्यु से पूर्व ही अपीलार्थी के पिता के द्वारा अपीलाधीन भूमि की वसीयत दिनांक 05.06.1986 को अपीलार्थी के पक्ष में गवाहों के समक्ष निष्पादित कर दी थी जिसका सभी वारिसों का ज्ञान है। भूमि अपीलार्थी के कब्जा काश्त में है। उक्त समस्त तथ्यों का इल्म होने के बावजूद भी रेस्पों. सं. 1 ने ग्राम पंचायत से विरास्तन इंतकाल स्वीकार करवा लिया। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थी को बिना सूचना दिए और सुनवाई का अवसर दिए बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया, जो कि विधि विरुद्ध है। आदेश जारी करने से पूर्व जांच भी नहीं की गई। अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान नहीं था ज्ञान होने पर बिना किसी विलम्ब के अपील पेश की है। अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने हेतु निवेदन किया।
4. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को आलौच्य आदेश का प्रारम्भ से ही ज्ञान है, अपील मियाद अवधि के पश्चात पेश होने से

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:50:45 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

देरी क्षमा योग्य नहीं है। अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है। प्रत्यर्थीगण के पिता के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में अपीलाधीन भूमि बाबत कोई वसीयत नहीं की गयी थी। अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस वकील अपीलार्थी पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा चक 15 एसडी तहसील श्रीविजयनगर के इन्तकाल सं. 38 जो कि सरपंच ग्राम पंचायत 10 सरकारी द्वारा आदेश दिनांक 18.11.95 द्वारा स्वीकृत किया गया है को अपील के माध्यम से चुनौति दी है। परन्तु अपीलार्थी के द्वारा अपील पत्र के साथ आलौच्य इन्तकाल की प्रति पेश नहीं की गयी है। अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में वसीयत अपीलार्थी के पक्ष में होने का कथन किया गया है जिस कारण विरास्तन नामान्तरण को चुनौति दी गयी है। अपीलार्थी की अपील पूर्णतः वसीयत पर आधारित है परन्तु अपीलार्थी की ओर से वसीयत की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 18.11.1995 में इन्तकाल दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अपीलार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में आलौच्य आदेश का ज्ञान दिनांक 04.03.2013 को होने का अंकन किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा अपील में अपने पिता की मृत्यु दिनांक 25.01.1987 को होने का अंकन किया है और वर्ष 2013 में वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु आवेदन किये जाने का कथन किया है, जो कि प्रथम दृष्टया विश्वसनीय नहीं है क्योंकि 18 वर्ष तक वसीयत आधार पर भूमि अपने नाम दर्ज करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रयास नहीं किया गया हो ऐसा अव्यवहारिक प्रतीत होता है। आलौच्य आदेश वर्ष 1995 का है तथा अपील वर्ष 2013 में लगभग 18 वर्ष की अवधि पश्चात पेश की गयी है। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किये जाने का कोई ठोस आधार पत्रावली पर उलब्ध नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय की राय में अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

—: आदेश :—

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 10.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:30:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner